

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक :— खा०आ० (राज्य सेवा)–०१/२०११ – १४५ / राँची, दिनांक – ०५.०८.१३

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय :— झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग :— विभागीय पत्रांक १४७९, दिनांक २५.४.२०१२ एवं स्मार पत्र २६२०, दिनांक ०८.८.२०१२ तथा पत्रांक ३६१६, दिनांक १६.११.२०१२।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के हारा राम्पूर्ण राज्य में लागू झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक २०११ के अन्तर्गत इस विभाग से संबंधित तीन सेवाएँ जिसके लिए नियत समय सीमा निम्नवत् है, के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन की गांग की गई थी। जो अब तक अप्राप्त है।

क्र० सं०	अधिसूचित सेवा	सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा
१	जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञाप्ति निर्गत करना।	३० दिन
२	जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञाप्ति निलंबित होने पर निलंबन मुक्ति/रद्द करने की निर्णय	९० दिन
३	नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय	६० दिन

अतः अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक २०११ के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों सेवाओं के संबंध में की गई कार्रवाई एवं अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।